संख्या-15/499 /74-2014-21(ब)/2013

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

रेशम विकास अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 12 जून, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत 13-नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेशम उत्पादन द्वारा रोजगार सृजन योजना में प्रथम चार माह के लिए प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45/सेरी0/लेखा0/आयो0 बजट/2014-15, दिनांक 23 अप्रैल, 2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत 13-नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेशम उत्पादन द्वारा रोजगार सृजन योजना में प्राविधानित धनराशि रू0 4700 हजार के सापेक्ष पारित लेखानुदान के अनुसार प्रथम चार माह (अप्रैल, मई, जून, व जुलाई, 2014) के लिए रू0 1565 हजार की धनराशि अवमुक्त/ स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतएव उक्त प्राविधानित धनराशि रू0 4700 हजार के सापेक्ष मद संख्या-26-मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयत्र में प्राविधानित धनराशि रू0 300 हजार के सापेक्ष मांगी गई धनराशि रू0100 हजार को घटाते हुए प्रथम चार माह (अप्रैल, मई, जून, व जुलाई, 2014) के लिए रू0 1465 हजार (रूपये चौदह लाख पैसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

मद सं0	मद का नाम	आय-व्ययक अनुमान में प्रावधानित धनराशि 2014-15	लेखानुदान के माध्यम से प्रथम चार माह (अप्रैल से जुलाई, 2014) हेतु आवश्यक धनराशि
02	मजदूरी	1500	500
08	कार्यालय व्यय	50	16
15	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	300	100
26	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	300	-----
29	अनुरक्षण	300	100
42	अन्य व्यय	700	233
43	सामग्री एवं सम्पूर्ति	1500	500
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50	16
	योग	**4700**	**1465**

(रूपये चौदह लाख पैंसठ हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों एवं अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति शासन से अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उसी मद में नियमानुसार व्यय किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(3) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय-विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा क्रय की जाने वाली सामग्रियों/उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाय एवं क्रय स्टोर परचेज रूल्स तथा संबंधित शासनादेशों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार ही मशीन संयंत्र एवं उपकरण आदि सामग्री की खरीददारी सुनिश्चित की जाय।

(4) उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। मितव्ययता के सम्बन्ध में धनराशि व्यय करते समय वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग के शासनादेश संख्या-सी0ए0-934/दस-2008/मित0-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए शासन द्वारा समय-समय पर जारी अन्य संगत शासनादेशों के अधीन नियमान्र्गत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने के बाद यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को विलम्बतम दिनांक 15 मार्च, 2015 तक निश्चित रूप से समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जाये। स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार ही सुनिश्चित किया जाये तथा उसकी त्रैमासिक समीक्षा विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से करते हुए त्रैमासिक अद्यावधिक व्यय की स्थिति /उपयोगिता से भी शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

(7) उक्त धनराशि अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0 के मानक के अनुसार व्यय की जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-आयोजनागत-13-नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेशम उत्पादन द्वारा रोजगार सृजन" के अधीन सुसंगत इकाईयों मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या एंव दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0,इलाहाबाद।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(8) नियोजन अनुभाग-4
(9) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
(10) बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
(11) गार्ड फाइल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in